रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 17, 1976/ज्येष्ठ 27, 1898
No. 203] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 17, 1976/JYAISTHA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 17th June, 1976

G.S.R. 410(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under the Item No. of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934, specified in the corresponding entry in column (3) thereof, when imported into India from Bangladesh, Republic of Korea or Sri Lanka, from that portion of the duty of customs specified in the said First Schedule as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

Provided that the importer proves to the satisfaction of the proper officer of customs that the goods in respect of which the benefit of this exemption is claimed are of the origin of Bangladesh, the Republic of Korea or Sri Lanka.

TABLE

Serial No.	Description of goods	Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dried fish	3(2)	50 per cent *ad valorem*
2.	Dessicated coconut	8(2)	75 per cent *ad valorem*
3.	Coconut oil (refined)	15(7)	40 per cent *ad valorem*
4.	Molasses	17(1)	50 per cent *ad valorem*
5.	Cocoa beans	12	45 per cent *ad valorem*
6.	Natural graphite	30(5)	30 per cent *ad valorem*
7.	Flurospar and fluorite	28 or 87	48 per cent *ad valorem*
8.	Cinnamon leaf oil	31(1)	80 per cent *ad valorem*
9.	(a) Tyres and tubes	39(2)	80 per cent *ad valorem*
	(b) Tyres and tubes	39(3)	40 per cent *ad valorem*
10.	Gypsum board, plaster	87	45 per cent *ad valorem*
11.	Ferro-silicon	63(35)	20 per cent *ad valorem*
12.	GI/MS Pipes (Seamless tubes)	63(18)	50 per cent *ad valorem*

[No. 121/F. No. 357/3/76-Cus. I.]

H. N. RAO, Under Secy.

राजस्व और बैंककारी विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 17 जून, 1976

सा० का० नि० 410 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची की मद सं० के अन्तर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जब उस का आयात भारत में बंगलादेश, कोरिया गणराज्य या श्रीलंका से किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जितना कि उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है :

परन्तु यह कि आयात कर्ता सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह प्रमाणित कर दे कि वह माल जिसकी बाबत इस छूट की प्रसुविधा के लिए दावा किया गया है, बंगलादेश, कोरिया गणराज्य या श्रीलंका मूल का है ।

सारणी

क्रम संख्या	माल का वर्णन	भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची में मद संख्या	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सूखी मछली	3(2)	मूल्य का 50 प्रतिशत
2	शुष्क नारियल	8(2)	मूल्य का 75 प्रतिशत
3	नारियल का तेल (परिष्कृत)	15(7)	मूल्य का 40 प्रतिशत
4	मीरा	17(1)	मूल्य का 50 प्रतिशत
5	कोकोफलियां	12	मूल्य का 45 प्रतिशत
6	प्राकृतिक ग्रेफाइट	30(5)	मूल्य का 30 प्रतिशत
7	फलुओरस्पार और फलुओराइट	28 या 87	मूल्य का 48 प्रतिशत
8	दालचीनी पत्ती का तेल	31(1)	मूल्य का 80 प्रतिशत
9	(क) टायर और ट्यूब	39(2)	मूल्य का 80 प्रतिशत
	(ख) टायर और ट्यूब	39(3)	मूल्य का 40 प्रतिशत
10	जिप्सम बोर्ड, प्लास्टर	87	मूल्य का 45 प्रतिशत
11	फैरो-सिलीकन	63(35)	मूल्य का 20 प्रतिशत
12	जी० आई०/एम० एस० पाइप (जोड़ रहित ट्यूब)	63(18)	मूल्य का 50 प्रतिशत

[सं० 121/सं० फा० 357/3/76-सीमाशुल्क I]

एस० एन० राव, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1976